सीरीज़ 3

बदलते शहर में रोज़गार

जयपुर में निर्माण मज़दूर

खतरा केन्द्र (संचल फॉउन्डेशन)
फरवरी 2007

बदलते शहर में रोज़गार

जयपुर में
निर्माण मज़दूर

सिरिज़ -3

ख़तरा केन्द्र
(संचल फॉउन्डेशन)

फरवरी 2007

प्रकाशक	खतरा केन्द्र (संचल फाउंडेशन)
सर्वेक्षण	हेमलता पारीक एवं मोहनलाल पारीक
शोध	शशिकान्त, बसब पॉल, हेमलता
लेखन	शशिकान्त
टाईपिंग एवं पेज सेटिंग	कविता जोशी, डी. लीना
कवर पेज	विनोद कोष्टी
स्केज	प्रणव प्रकाश
मुद्रक	लक्ष्मी पेपर सदन एण्ड प्रिंटर्स, रमेश नगर, नई दिल्ली
आर्थिक सहयोग	एक्शन एड इंडिया फोर्ड फाउन्डेशन

आभार

सर्वप्रथम आभार वयक्त करता है एक्शन एड इंडिया और फोर्ड फाउन्डेशन का जिन्होनें इस अध्ययन में आर्थिक सहयोग दिया।

आभार वयक्त करता हुँ जयपुर के उन तमाम संगठनो–बजट अध्ययन केन्द्र, सिकोडिकोन, दलित मानव अधिकार मंच, निर्माण मजदुर पंचायत संगम, हलवाई युनियन का जिन्होने जयपुर मे रोजगार की वस्तुस्थिती से अवगत करवाया।

मुख्य रूप से आभार व्यक्त करता हुँ लेबर एजुकेशन एण्ड डेबलपमेंट सोसाइटी, कोमरेड वकार, पी.एल.मेमरोट और प्रदीप भार्गव (आइ.डी.एस) का जिनके मदद के बिना यह अध्ययन सम्भव नही था।

विषय सूची

प्रवेशिका
1

अध्य्यन की ज़रूरत
3

बदलते जयपुर की तस्वीर
4

जयपुर की अर्थव्यवस्था
6

निर्माण उद्योग एवं मज़दूर
9

आंकड़ों का विश्लेषण
11

1 निजी जानकारी
2 पलायन
3 चौक पर सुविधाएं एवं परेशानियां
4 आर्थिक एवं रोज़गार की स्थिति
5 संगठन एवं कानून की जानकारी
6 आवास
7 रोज़गार संबन्धि परेशानियां

शहर की योजना में निर्माण मज़दूर का स्थान
23

मज़दूरों का विरोध
24

निष्कर्ष
25

प्रवेशिका

उदारीकरण की प्रक्रिया को शुरू हुए 15 साल हो चुके हैं। इन 15 सालों में बहुत कुछ बदला है। कुछ बदलाव दिख रहे हैं और कुछ ऐसे भी बदलाव हैं जो अदृश्य हैं, प्रत्यक्ष रूप से लोगों के सामने नहीं है। इन 15 सालों में हुए बदलावों पर नज़र डालें तो हमें दिखाई देता है कि :–

- शहरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आयी है। लोगों का पलायन शहरो की तरफ बढ़ा है।
- सकल धरेलु उत्पाद में कृषि (प्राइमरी), उत्पादन(सेकण्डरी) क्षेत्र के योगदान में गिरावट आयी है तथा सेवा (टरश्यरी) के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है।
- प्रति इकाई पूंजी पर जितना रोज़गार पैदा होता था अब उसका केवल 20% ही होता है।(बदलते शहर में रोज़गार, ख़तरा केन्द्र)
- नई आर्थिक नीति आने के 7 साल के भीतर दिल्ली में बेरोज़गारों की संख्या लगभग 300% बढ़ी है।(बदलते शहर में रोज़गार, ख़तरा केन्द्र)
- श्रम कानूनों के विनियमन के नाम पर असुरक्षित, अस्थायी एवं कम मज़दूरी पर श्रम को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण हो रहा है।
- इन सब के नतीजतन असंगठित क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। 1978 में 89% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में थे। अब 93% इस क्षेत्र में हैं।
- खुली अर्थव्यवस्था के चलते बहुत से देशी उद्योग–धंधे बंद होते जा रहे हैं जिससे बेरोज़गारी फैल रही है और संगठित क्षेत्र बर्बाद हो रहा है। मुम्बई, अहमदाबाद, और जयपुर में कपड़ा मिलों के बन्द होने से लाखों मज़दूर सड़क पर आ गए। जयपुर शहर में कई परम्परागत धंधे बिल्कुल गायब हो गए हैं – जैसे पीतल की नक्काशी, लाल मिट्टी बनाने का काम इत्यादि।

दिल्ली जैसे शहर में 1996 की उद्योगबंदी से लगभग 55,000 श्रमिक और सन 2000 की उद्योगबंदी से हज़ारों मज़दूर बेरोज़गार हुए हैं।

- पर्यावरण, प्रदूषण एवं विश्व स्तरीय शहर के नाम पर लोगों को उनके घर और धंधे से बेदखल किया जा रहा है। मुम्बई में नवम्बर 2004 से जनवरी 2005 के बीच 90,000 से 94,000 झुग्गी झोपडियों को तोड़ डाला गया। दिल्ली मे यमुना पुश्ता से 27,000 परिवार और लगभग 1 लाख परिवार दिल्ली के विभिन्न भागों से उजाड़ दिए गए। अहमदाबाद मे साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के नाम पर 30,000 परिवारों पर विस्थापन का खौफ छाया हुआ है।

लोगों के उद्योग धंधों पर ख़तरा मंडरा रहा है। रेडी पटरी, तहबाज़ारी का सफाया हा रहा है। रिक्शे बन्द किए जा रहे हैं।

दूसरे बदलाव जो मूलतः शासन व्यवस्था से संबन्धित है, अगर उस पर नज़र डालें तो पाते हैं किः–

- उदारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कानूनों को लचीला और पूंजीपतियों के पक्ष में बनाया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन और स्पेशल इकोनोमिक ज़ोन कानून (2005) इसी प्रक्रिया में उठाये गये कदम है।
- सरकार की खर्च करने की प्राथमिकताओं में बदलाव आ रहा है। शहर के आधारभूत ढांचे के रख–रखाव और उसके विकास से सरकार अपना हाथ खींच कर निजी क्षेत्र को सौंप रही है। और शहर की बुनियादी सुविधाओं से शहर के ग़रीब तबके को बेदख़ल किया जा रहा है।
- शहरी गरीबों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए सब्सीडी (छूट) को हटाकर सरकार पूंजी बाज़ार का सहारा ले रही है।

- ये बदलाव केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका असर देश के छोटे और मंझोले शहरों पर भी पड़ रहा है। और इस बदलाव की सबसे ज़्यादा मार झेल रहा है शहरी ग़रीब मज़दूर।इन बदलावों में शहरी ग़रीबों की दशा को समझने की कोशिश है यह अध्ययन।

ख़तरा केन्द्र

लेबर एजुकूशन एंड डेवलपमेंट सोसाईटी

अध्ययन की ज़रूरत

सन् 1996 से दिल्ली के मेहनतकश मज़दूरों - रेड़ी पटरी वाले, रिक्शा चलाने वाले, तिपहिया चालक और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले झुग्गियों और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मज़दूरों के बीच काम करते हुए हम लोगों को यह अहसास हुआ कि शहरी गरीबों को दिल्ली शहर से योजनाबद्ध तरीके से हटाने की साजिश हो रही है – 1996 की उद्योगबंदी, रिक्शा पर प्रतिबंध, यमुना पुश्ता और दिल्ली की अन्य जगहों से झुग्गियों के विस्थापन से हज़ारों मज़दूर बेरोजगार हो गये। इसी बीच हमने देखा मुम्बई, कोलकता, हैदराबाद व चेन्नई में भी वहीं सिलसिला दोहराया जा रहा हैं

सारे शहरों में एक समानता थी। कोर्ट के आदेश, शहरों का सौन्दर्यीकरण व शहरो के पर्यावरण को साफ रखने की आड़ में ये सारे कर्मकांड किए जा रहा हैं। दिल्ली में किए गए अध्ययन में हमने पाया पूरी अर्थव्यवस्थ सेवा की तरफ बढ़ रही है और उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है और बेरोज़गारी बढ़ रही है।

बड़े शहरों में हो रहे इस बदलाव ने हमें भी सोचने पर मजबूर किया कि क्या ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित हैं या छोटे शहरों में भी हो रहे हैं। हमारे इस प्रश्न ने जयपुर में इस अध्ययन को प्रेरित किया।

❑ ❑ ❑

बदलते जयपुर की तस्वीर

1727 में सवाई जय सिंह द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की गई। जयपुर एक नियोजित शहर के रूप में, अपनी खास कलाकृति के कारण जाना जाता है। जयसिंह का जयपुर चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ था जिसके अन्दर आने के लिए नौ दरवाज़े थे। शहर के मकान एक ख़ास कलाकृति से बनें थे – राजा का मकान पीला और सार्वजनिक व अन्य लोगों का मकान गुलाबी था। इसलिए इसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। 1734 तक जयपुर एक बाज़ार के रूप में उभरने लगा और इसी दौरान कई बाज़ार स्थापित हुए जिसमें शामिल है जौहरी बाज़ार, सिरेह देवरी बाज़ार, किशनपोल बाज़ार और गनगौरी बाज़ार। सवाई जयसिंह ने इन बाज़ारों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर भारत के प्रमुख व्यापारियों को जयपुर में व्यवसाय करने के लिए आमंत्रित किया और साथ ही उन्हें मुफ्त भूमी और करों में छूट दी गई। परिणामस्वरूप जयपुर एक व्यवसायिक केन्द्र के रूप में उभरा और जयपुर की सीमा का और भी अधिक विस्तार हुआ।

1727 से लेकर अब तक जयपुर का कई गुना विस्तार हुआ है। शहर के विस्तार के साथ जनसंख्या में वृद्धि हुई। 1951 में जहां इसकी जनसंख्या 0.3 लाख थी वहीं 2001 में इसकी जनसंख्या 2.3 लाख हो गई। 1971 से 2001 के बीच औसतन वार्षिक बढ़त 4.1% से 4.7% के बीच में है। 1981 में जनसंख्या वृद्धि अधिकतम थी किन्तु 1991 में 0.6% की गिरावट आई और पुनः 2001 में जनसंख्या 0.2% की दर से बढ़ी। जनसंख्या में वृद्धि कुछ तो प्राकृतिक है और कुछ प्रवास (migration) के कारण।

1991 में जहां प्रवास से जनसंख्या में वृद्धि केवल 29% थी वहीं वह 2001 में घटकर 27% हो गयी। फिर भी प्रवासियों की कुल संख्या में वृद्धि हो रही है। 1991 से 2001

के बीच तकरीबन 2 लाख प्रवासियों की संख्या जुड़ी और प्रवासियों की संख्या 4 लाख से 6 लाख हो गयी।

प्रवास की उत्पत्ति पर नज़र डालें तो पाते हैं कि 1991 में जहां शहर और गांव से आने वाले लोगों की संख्या तकरीबन बराबर थी वहां 2001 में शहर से आने वाले लोगों की संख्या 30.5% से 53.4% हो गयी। वहीं गांव से आने वाले लोगों की संख्या 49.5% से घटकर 46.6% हो गयी। अर्थात दूसरे छोटे शहरों से बेहतर सम्भावनाओं की तलाश में लोग जयपुर का रुख कर रहे हैं। इन प्रवासियों में 1991 तक 70% प्रवासी राजस्थान से थे एवं 30% देश के अन्य भागों से। 2001 में प्रवासियों की जनसंख्या में राजस्थान का हिस्सा 2% गिरकर 68% हो गया और देश के अन्य भागों का हिस्सा 2% से बढ़कर 32% हो गया। इस प्रवास की मुख्य वजह रोज़गार, खासकर वाणिज्य और सेवाओं के क्षेत्र में रोज़गार की बढ़ती सम्भावनाओं को बताया जा रहा है। मास्टर प्लान 2011 के अनुसार प्रवासियों का 36% हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता हैं।

❑ ❑ ❑

Map growing city

जयपुर की अर्थव्यवस्था

जयपुर की जनसंख्या की 30% आबादी कामगारों की है। कामगारो के काम का बंटवारे का ट्रेंड बताता है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है जिसमें 1991 में 31.8% कामगार कार्यरत हैं। उद्योग का स्थान दूसरा है जो 26.1% लोगों को रोज़गार देते है – 3.9% घरेलू उद्योग और 22.2% अन्य उद्योग। व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में 1961 में 16.47% से बढ़ोत्तरी हो कर 1991 में 23.98% हो गयी वहीं मास्टर प्लान 91 में व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में 70000 कामगारों का अनुमान लगाया था लेकिन इसकी संख्या 1,02,521 हो गयी। इसमें बढ़ोत्तरी का कारण अनौपचारिक क्षेत्र और दूसरे छोटे दुकानों का खुलना है।

वहीं दूसरी ओर उद्योग में रोज़गार 1961 में 26.50% से घटकर 1991 में 26.10% रह गया।

अनौपचारिक क्षेत्र

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों – व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग, कृषि, निर्माण, परिवहन में एक अनौपचारिक क्षेत्र कार्यरत है।94% कामगार अर्थव्यवस्था के इसी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। जयपुर में अनौपचारिक क्षेत्र में 63% की बढ़ोत्तरी इन 10 सालों में हुई है तथा इसमें से 70% ऐसे रोज़गार हैं जो जयपुर में नए हैं। अनौपचारिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है पर क्या शहर की नीति में इनके लिए कोई स्थान है?

बदलती अर्थव्यवस्था में बदलती नीति

शहर की नीतियों में मास्टर प्लान की अहम भूमिका होती है। मास्टर प्लान शहर का भविष्य तय करती है। इसी सन्दर्भ में अगर हम जयपुर मास्टर प्लान 91 पर एक नज़र डालें तो हमें दिखता है कि मास्टर प्लान 91 में आवासीय क्षेत्र को छोड़ दें तो बाकी क्षेत्रों में अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। भूमि उपयोग योजना में 52% आवासीय क्षेत्र के लिए विकास करना था और 62% विकास हुआ। 5.4% व्यवसायिक क्षेत्र के लिए होना था पर केवल 3.8% हुआ। इसी तरह से 16% हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र के लिए विकास करना था परन्तु केवल 10% ही विकास किया गया। 3 प्रस्तावित डिस्ट्रिक्ट सेन्टर में केवल 1 ही बनाया गया। अर्थात मास्टर प्लान 91 की ज़रूरत के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों का विकास नहीं कर पाया तो ज़ाहिर है कि मास्टर प्लान 2011 में योजनाकारों को उन कमियों को मास्टर प्लान 2011 योजना में शामिल करना चाहिए था। किन्तु 2011 मास्टर प्लान में इन बातों की अनदेखी की गई है। केवल 3% क्षेत्र ही व्यवसायिक केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना है जो व्यवसायिक मांगों से कहीं कम है। इसके नतीजतन लोग अपनी सुविधा से अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना व्यवसाय चला रहे हैं और सरकार इन्हें अनधिकृत करार कर रोज़गार करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। मास्टर प्लान 2011 ख़ुद मानती है कि जयपुर में असंगठित क्षेत्र में इन 10 सालों में 63% की बढ़ोत्तरी हुई है। वह यह भी मानती है कि असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। परन्तु योजना में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। एक तरफ तो व्यवसायिक केन्द्र ज़रूरत के मुताबिक नहीं है दूसरी तरफ जिस तरह की परियोजना प्रस्तावित है उनसे साफ ज़ाहिर है कि योजनाकारों की नीयत क्या है?

मास्टर प्लान 2011 में प्रस्तावित आर्थिक गतिविधी केन्द्रः

- महेन्द्र सिटी (स्पेशल इकानोमिक ज़ोन)
- वर्ल्ड ट्रेड पार्क
- हाथी गांव
- फिल्म सिटी
- आई.टी.सिटी
- नोलेज कोरिडोर
- 72 कि.मी. लम्बा 3 लेन की रिंग रोड
- जेम्स और ज्वेलरी बाज़ार
- एम्यूज़मेंट पार्क
- रोप वे
- दस्तकार नगर
- मेडी टेक सिटी
- अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर
- अन्तर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स
- राजस्थान हेबीटेट सेन्टर, एन.आर.आई कालोनी
- एन.आर.आई हाऊसिंग फेज़ 2, 40,000 स्क्युएर मीटर में
- मेट्रो रेल कोरीडोर
- स्पोर्टस कोम्प्लेक्स
- गोल्डन जुबली गार्डन

स्त्रोतः मास्टर प्लान 2011

Map: proposed dev plan

उपरोक्त सभी प्रस्तावित परियोजना से स्पष्ट होता है कि सारी परियोजना मल्टीनेशनल को शहर में आकर्षित करने के लिए की जा रही हैं।

इसी कड़ी में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत तैयार 'जयपुर' शहरी विकास योजना है। विकास योजना जयपुर को आर्थिक रूप से एक वाइब्रेन्ट व उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी सुविधा वाले शहर के रूप में देखना चाहती है। परन्तु इस आर्थिक वाइब्रेन्ट शहर में गरीब मज़दूर, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों की क्या स्थिति होगी, उनके लिए क्या व्यवस्था है?

जयपुर शहर विकास योजना यह चिन्हित करता है कि शहर में बेरोज़गारी बढ़ा रही है और मज़दूर हाशिये पर जी रहे हैं। उसके बावजूद भी उनकी बेरोज़गारी दूर करने और मुख्य धारा में लाने के कोई उपाय नहीं सुझाए गए हैं। क्या शहर का विकास केवल अभिजात्य वर्ग व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए सुविधाएं जुटाने से हो जायेगा?

इन सारी परियोजना से जयपुर एक विश्वस्तरीय शहर तो बन जाएगा पर उनमें रहने वाले मज़दूर और गरीब और बेरोज़गार होंगे। जिसकी झलक अभी से दिखनी शुरू हो गई है।

❑ ❑ ❑

निर्माण उद्योग एवं मज़दूर

1 निर्माण उद्योग

निर्माण की गतिविधी, उन सभी स्थानों पर होती है जहां मानव निवास करता है। निर्माण में व्यक्तिगत घर बनाने से लेकर बड़े–बड़े प्रोजेक्ट – सड़क, पॉवर प्लांट, बांध, इन जैसी कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं। निर्माण उद्योग का फोकस नए प्रोजेक्ट में होता है फिर भी 50% निर्माण कार्य रेनोवेशन और रख–रखाव के कार्यों के लिए होता है।

नब्बे का दशक निर्माण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण दशक था। अधारभूत ढांचे में निवेश बढ़ा और निर्माण उद्योग में बढ़ोत्तरी हुई। निर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। सकल घेरेलू उत्पाद में 6% हिस्सा इस उद्योग का है। हाल के वर्षों में यह उद्योग 6-8% की दर से वृद्धि कर रही है और दसवी योजना के अन्तर्गत 8% की दर से वृद्धि करने की आशा हैं कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउन्सिल के मुताबिक निर्माण उद्योग में ग्रोस केपिटल फोरमेशन (GCF) काफी तेज़ी से बढ़ रहा है। 1986-87 और 1993-94 के बीच इसमें ढाई गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए 1980 में GCF 13549 करोड़ था। 1990-91 में बढ़ कर 58303 करोड़ और 93-94 तक 79373 करोड़ हो गया।

जितनी तेज़ी से यह उद्योग बढ़ रहा है उतनी ही तेज़ी से इस व्यवसाय पर बड़े–बड़े देशी–विदेशी कंपनियों का बोलबाला है और छोटे ठेकेदार व व्यवसायी खस्ता हालत में हैं। देश के किसी भी छोटे बड़े शहरों में निर्माणधीन टाउनशिप, मॉल, आई.टी पार्क, सभी कुछ बड़े–बड़े कम्पनियों के पास हैं। अगर हम 2–3 सालों में हुए बड़े

निर्माणकार्यों की गणना करें तो उनमे शामिल सभी की लागत कई करोड़ों में होगी। कई करोड़ों का मेट्रो रेल, अपार्टमेंटस, कई बिल्डरों का मॉल, इन्फोटेक सिटी, और कई शहरों में आने वाली स्पेशल इकोनोमिक ज़ोन।

इन सभी तथ्यों के मद्देनज़र एक सवाल जो हर कोने से आता है, निर्माण उद्योग में आए बुम व करोड़ों का बिज़नेस होने का क्या कुछ भी फायदा इसके मज़दूरों को मिला है? क्या है उनकी स्थिति?

2 निर्माण मज़दूर

कृषी के बाद निर्माण ही ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज़्यादा मज़दूर लगे हैं। तकरीबन 40 मिलियन लोग इस क्षेत्र में रोज़गार पाते हैं। 1992–93 से 1999–2000 के आंकड़े बताते हैं कि निर्माण के क्षेत्र में रोज़गार– बम्बई में 3.98% से 7.47% बढ़ी है, वहीं चेन्नई में 9.94% से 10.66%, हैदराबाद में 8.10% से 12.79%, बंगलौर में 8.83% से 12.44%, अहमदाबाद में 3.15% से 7.67% और पुणे में 5.65% से 6.95% बढ़ी है।

श्रम मन्त्रालय के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण में रोज़गार 1981–91के बीच बढ़ी है किन्तु है उदारीकरण के बाद इसमें गिरावट आयी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण उद्योग में रोज़गार (लाख में)	
1981	10.89
1991	11.49
2001	10.81
2002	10.26
निजी क्षेत्र के निर्माण उद्योग में रोज़गार (लाख में)	
1981	0.72
1991	0.73
2001	0.57
2002	0.56

यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र में रोज़गार कम हो रहा है परन्तु आज भी सार्वजनिक क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा रोज़गार है।

निर्माण उद्योग में आमतौर पर चार तरीके से मज़दूर को काम पर लगाया जाता है।

- सीधे ठेकेदार के द्वारा
- ठेकेदार द्वारा गांव से
- ठेकेदार द्वारा शहरों के झुग्गियों या इस जैसी जगह से
- मार्केट में चौको से।

हमने अपने सैम्पल जयपुर के इन चौकों से लिये है। जयपुर में 72 छोटे–बड़े चौक लगते हैं। हमने नए व पुराने शहर से 9 चौकों से सैम्पल लिया है।

चौक	न..	प्रतिशत
अर्पित नगर	50	19
बर्फखाना	8	3
चांदपोल	14	5
चार दरवाज़ा	40	15
जोरावरसिह गेट	7	2
सांगावेट	27	10
वैशाली	26	10
विद्याधरनगर	25	10
विश्वकर्मा	64	26
कुल	261	100
नक्शे में विभिन्न चौक दिखाया गया है		

Map: Location

इन नौ चौकों में चांदपोल और चार दरवाज़ा चौक जयपुर के सबसे पुराने चोकों में से है। यहां तकरीबन 1500–2000 मज़दूर बैठते हैं। बाकी दूसरे चौक, नए शहर में इन्हीं 10–15 वर्षो में आए हैं। वहां मज़दूरों की संख्या भी पुराने शहर के चौकों से ज़्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक जयपुर में तकरीबन 2 लाख मज़दूर विभिन्न चौकों पर बैठते हैं।

3 आंकड़ों का विश्लेषण

3.1 निजी जानकारी

चौंको से रोज़गार पाने वालों में अधिकतर मज़दूर अकुशल होते हैं जिसमें शारीरिक मेहनत ज़्यादा होती है इसलिए भी हम देख रहे हैं कि हमारे कुल 261 सैम्पल में से

40 वर्ष तक के मज़दूरों की संख्या ज़्यादा है। 40% मज़दूर 21 से 30 वर्ष के हैं, 33% मज़दूर 31 से 40 वर्ष के हैं वहीं 41 से 50 वर्ष के सिर्फ 11% हैं(टेबल 1)। उनकी अकुशलता का प्रमाण उनकी शिक्षा भी है। 48.65% मज़दूर अशिक्षित हैं और 33.71% प्राइमरी पास (टेबल 2) हैं। इन मज़दूरों में से अगर हम उनके लिंग को देखें तो पाते हैं कि 71.64% पुरुष व 26.07% महिला है (टेबल 3)। वैसे भी जयपुर में कुल महिला मज़दूर का केवल 5.7% निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वहीं पर अगर हम उनके परिवार के सदस्यों की संख्या देखें तो पाते हैं कि 62.06% मज़दूरों के परिवार में 1 से 3 सदस्य हैं व 30.65% के परिवार में 4 से 7 सदस्य हैं(टेबल 4) ।

(3) लिंग

लिंग	न.	प्रतिशत
पुरुष	187	71.64
स्त्री	68	26.07
कोई जवाब नहीं	6	2.29
कुल	261	100

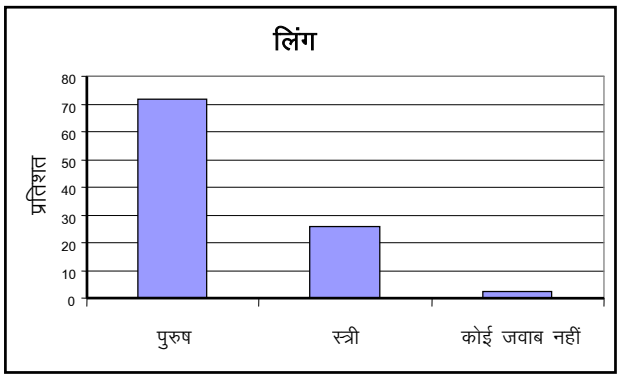

(1) आयु वर्ग

आयु	न.	प्रतिशत
14-20	22	8
21-30	104	40
31-40	85	33
41-50	29	11
50 से ज़्यादा	21	8
कुल	261	100

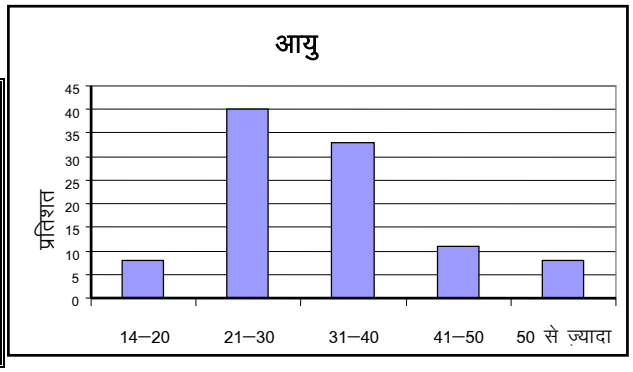

(2) शिक्षा

शिक्षा	न.	प्रतिशत
अशिक्षित	127	48.65
प्राइमरी	88	33.71
सेकण्डरी	24	9.19
हायर सेकण्डरी	4	1.53
अन्य	2	0.76
कोई जवाब नहीं	16	6.16
कुल	261	100

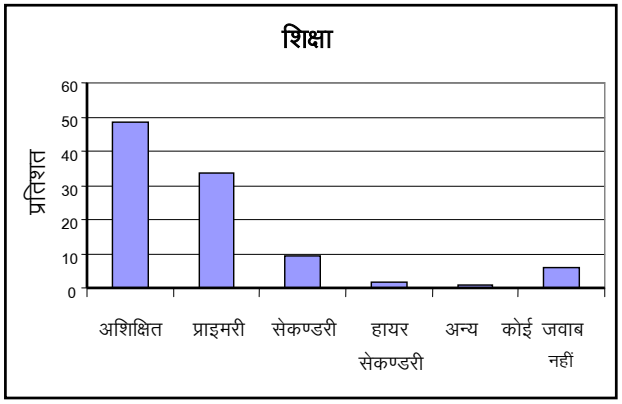

(4) परिवार

परिवार की संख्या	न.	प्रतिशत
1-3 सदस्य	162	62.06
4-7 सदस्य	80	30.65
कोई जवाब नहीं	19	7.29
कुल	261	100

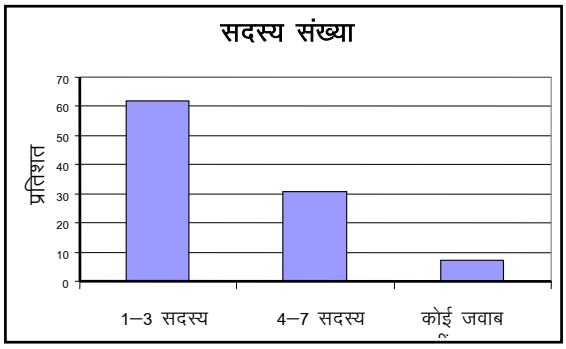

3.2 पलायन

हमारे अध्य्यन बता रहे हैं कि 70.91% मज़दूर 1 से 10 वर्षों में व 13.79% मज़दूर 11 से 20 वर्षों (टेबल 5) में जयपुर आए हैं। वहीं अगर हम उनके मूल स्थान पर नज़र डाले तो पाते हैं कि 75% (टेबल 6) मज़दूर राजस्थान के ही किसी हिस्से से जयपुर आए हैं। यानी इन 10 सालों में निर्माण मज़दूरों का पलायन जयपुर की तरफ बढ़ा है।

(5) जयपुर में आगमन

वर्ष	न.	प्रतिशत
एक साल से कम	6	2.29
एक से दस साल	185	70.91
ग्यारह से बीस साल	36	13.79
बीस से ज़्यादा	21	8.04
जन्म से	3	1.14
कोई जवाब नहीं	10	3.83
कुल	261	100

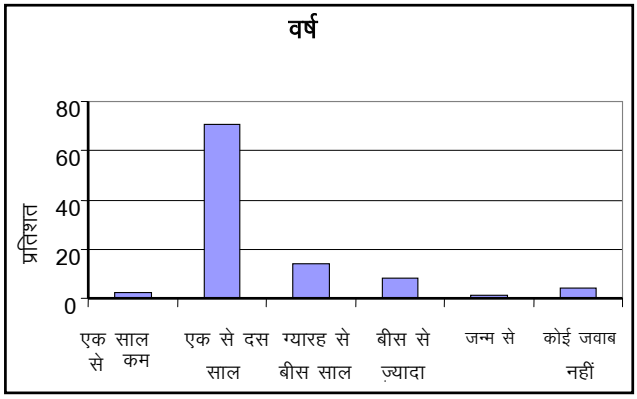

(6) मूल स्थान

मूल स्थान	न.	प्रतिशत
बिहार	3	1.1
झारखंड	1	0.4
मध्य प्रदेश	6	2.3
राजस्थान	195	75
जयपुर	42	16
बंगाल	7	2.7
कोई जवाब नहीं	7	2.7
कुल	261	100

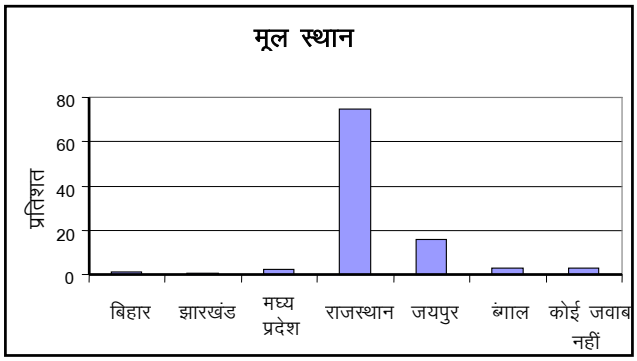

3.3 चौक पर सुविधाएं एवं परेशानियां

(7) चौक पर सुविधाएं

सुविधाएं	न.	प्रतिशत
हां	2	1
नहीं	259	99
कुल	261	100

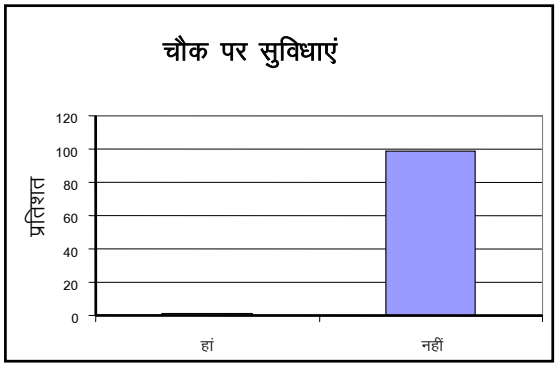

99%(टेबल 7) मज़दूरों ने कहा चौक पर सुविधाएं नहीं है। हालांकि मज़दूर इन चौकों पर कई साल से बैठ रहे हैं। काफी संघर्ष व अपने बलबूते पर मज़दूरों ने पानी की व्यवस्था की है। चौक पर शौचालय की सुविधा न होने से सबसे ज़्यादा परेशानी महिला मज़दूरों को होती है। गर्मी व बारिश के दिनों में परेशानी का अनुमान लगाया जा सकता है। छोटे बच्चे जो महिला मज़दूरों के साथ आते हैं उनकी देखभाल के लिए किसी तरह की क्रेश की भी कोई व्यवस्था नहीं है।

(8) चौंकों पर परेशानियां

परेशानियां	न.	प्रतिशत
बुनियादी सुविधा न होना	26	9.96
आपस में लड़ाई–झगड़ा	182	69.75
काम कम मिलना	26	9.96
अन्य	9	3.45
कोई जवाब नहीं	18	6.89
कुल	261	100

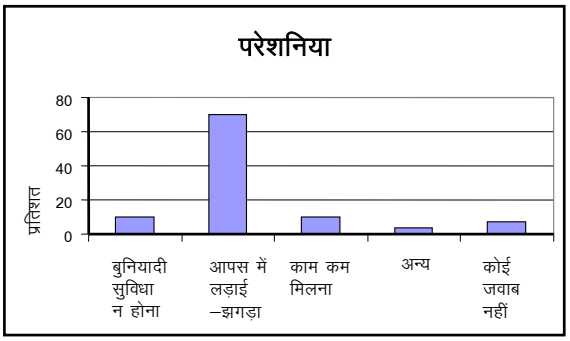

1981 से 1991 के बीच निर्माण के क्षेत्र में रोज़गार में बढ़ोत्तरी 100% हुई तो ज़ाहिर है कि मज़दूरों की संख्या भी बढ़ी है और साथ ही मशीनीकरण भी बढ़ा है जिसके कारण मज़दूरों को काम मिलना भी कम हुआ है जिसके परिणामस्वरूप मज़दूरों में काम लेने के लिए एक होड़ लगी रहती है और जो आपसी झगड़ों का कारण बनती

है जो चौंकों पर मज़दूरों की सबसे बड़ी समस्या है। चौकों पर सुविधाओं का न होना, और मज़दूरों की बढ़ती हुई संख्या से सबसे ज़्यादा परेशनी होती है महिला मज़दूरों को। एक तो वे चौक पर काम लेने में पिछड़ जाती हैं, दूसरा वे किसी अजनबी के साथ काम पर नहीं जाती।

3.4 आर्थिक एवं रोज़गार की स्थिति

आर्थिक उदारीकरण के बाद शहर के आधारभूत ढांचे के विकास के निजीकरण व रियल स्टेट में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के कारण निर्माण के क्षेत्र में बढोतरी हुई है और साथ ही निर्माण में मशीनीकरण मे भी तेज़ी हुआ है जिसके परिणामस्वरूप निर्माण में अकुशल मज़दूरें की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है (टेबल 9 और 10)।

(9) निर्माण क्षेत्र में कामगारों का बंटवारा

क्र.स.	कामगार	1995–96	2004–05
1	इंजीनियर	4.71	8.47
2	टेकनीशियन	2.46	4.43
3	क्लर्क	4.40	4.40
4	कुशल मज़दूर	15.35	27.62
5	अकुशल मज़दूर	73.08	55.08

(10) कुशल–अकुशल मज़दूरों की संरचना

क्र.स.	वर्ष	कुशल	अकुशल
1	1995-96	26.92	73.08
2	1996-97	28.92	71.08
3	1997-98	30.92	69.08
4	1998-99	32.92	67.08
5	1999-2000	34.92	65.08
6	2000-01	36.92	63.08
7	2001-02	38.92	61.08
8	2002-03	40.92	59.08
9	2003-04	42.92	57.08
10	2004-05	44.92	55.08

स्रोत (बिजु लाल– ग्लोबलाइजेशन एण्ड कंस्ट्रकसन इंण्डस्ट्री)

हमारे अध्ययन ये बता रहे हैं कि 61.68% मज़दूरों को महीने में 10 दिन व 35.24% मज़दूरों को महीने में सिर्फ 15 दिन काम मिलता है (टेबल 11)। वहीं अगर हम उनकी मज़दूरी की बात करें तो देखते हैं कि 77.77% मज़दूरों की मज़दूरी 76-100 रु. के बीच है (टेबल 12) यानि बहुसंख्यक मज़दूरों की महीने की आमदनी 760-1000 रु. के बीच है। मज़दूरों को काम मिलना इतना कम हो गया है कि वे अपनी जीविका चलाने के लिए औने–पौने मज़दूरी पर भी काम पर चले जाते हैं, जिसको रोक पाने में निर्माण मज़दूर यूनियन भी अपने को असहाय पाते हैं। मज़दूर, यूनियन द्वारा तय रेट से भी कम कीमत पर मज़दूरी करते हैं। बेलदार 100 के बजाये 75-80 रु. के बीच में भी मज़दूरी कर लेते है (टेबल 13)।

(11) महीने में काम

दिन	न.	प्रतिशत
10	161	61.68
15	92	35.24
20	6	2.29
25	1	0.38
30	0	0
कोई जवाब नहीं	1	0.38
कुल	261	100

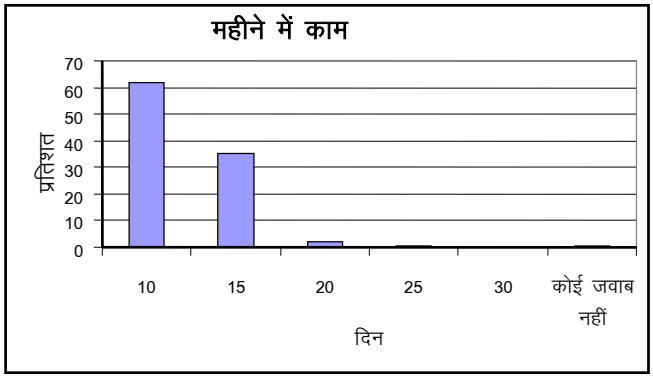

(12) दिहाड़ी

दिहाड़ी	न.	प्रतिशत
50 से कम	0	0
50-75	22	8.42
76-100	203	77.77
101-125	1	0.38
126-150	24	9.19
151-200	10	3.86
कोई जवाब नहीं	1	0.38
कुल	261	100

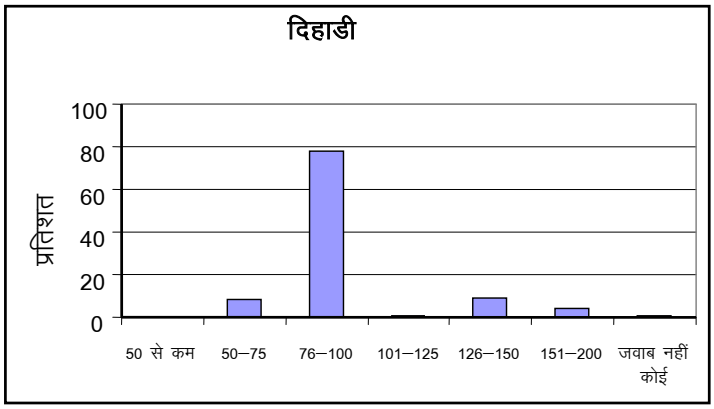

(13) यूनियन द्वारा तय मज़दूरी

मज़दूर	मज़दूरी
बेलदार	100
कारीगर	170
कुलि	80

स्रोत–चांदपोल चौक– जयपुर

निर्माण मज़दूर ठेकेदारी व उप–ठेकेदारी के ऐसे चक्रव्यूह में फंसे होते है जिसका पता उन्हें खुद नहीं होता। कई बार उन्हें ख़ुद पता नहीं होता कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं जिसके नतीजतन उन्हें अपनी मज़दूरी भी समय पर नहीं मिलती (ठेकेदार अक्सर उन्हें यह कह कर उनकी मज़दूरी नहीं देते हैं कि अभी उनके काम का पैसा, काम कराने वाले से नहीं मिला)। हमारे अध्य्यन बता रहे हैं कि 67.06% (टेबल 14) मज़दूरों को समय पर मज़दूरी नहीं मिलती है और उनमें से 65.14% (टेबल 15) मज़दूरेां ने कहा कि उन्हें मज़दूरी मिलने में एक महीने से भी ज़्यादा की देरी होती हैं

(14) मज़दूरी का भुगतान

भुगतान	न.	प्रतिशत
हां	75	28.73
नहीं	175	67.06
कोई जवाब नहीं	11	4.41
कुल	261	100

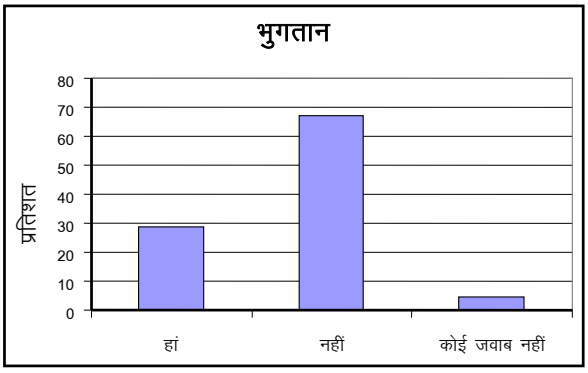

(15) मज़दूरी मिलने में देरी

मज़दूरी	न.	प्रतिशत
5 दिन से कम	1	0.57
5 से 15 दिन	53	30.29
15 से 25 दिन	7	4
1 महीने से ज़्यादा	114	65.14
कुल	175	100

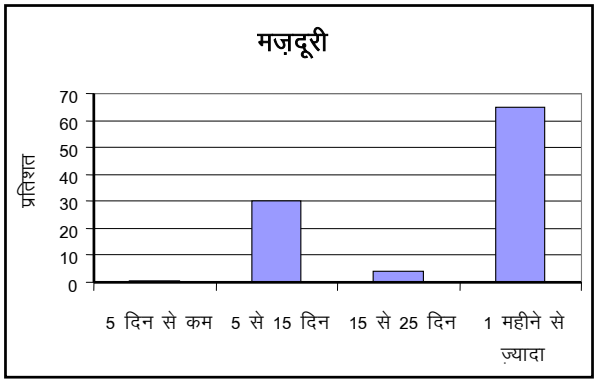

कम काम, कम मज़दूरी व देरी से मज़दूरी मिलने का स्वभाविक नतीजा है कर्ज़ में डूबे रहना। जब हमने उनसे यह जानने की कोशिश की कि भुगतान न मिलने के दौरान आप अपनी जीविका कैसे चलाते हैं? 98.86%(टेबल 16) मज़दूरों ने कहा कि वे कर्ज़ लेते हैं। जिनमें से 22.86% महाजन से, 11.24% रिश्तेदार से एवं 65.52% (टेबल 17) अन्य अर्थात अपने दोस्तो या जान–पहचान वालों से कर्ज़ लेते हें। जब हमने यह जानना चाहा कि किस ब्याज दर से वे कर्ज लेते हैं तो पाया – 22.99% मज़दूर 2% की दर से, 43.68% मज़दूर 3% की दर से, 3.83% 4: की दर व 26.44% मज़दूर 5% (टेबल 18) की ब्याज पर कर्ज लेते हैं। यानि मज़दूर लगातार कर्ज मे रहते हैं ।

(16) भुगतान न मिलने के दौरान

क्या करते हैं	न.	प्रतिशत
कर्ज़ लेते हैं	258	98.86
अन्य	2	0.76
दोनों	1	0.38
कुल	261	100

(17) कर्ज़ कहां से लेते हैं

कहां से लेते हैं	न.	प्रतिशत
महाजन	59	22.86
रिश्तेदार	29	11.24
अन्य	169	65.52
कोई जवाब नहीं	1	0.38
कुल	258	100

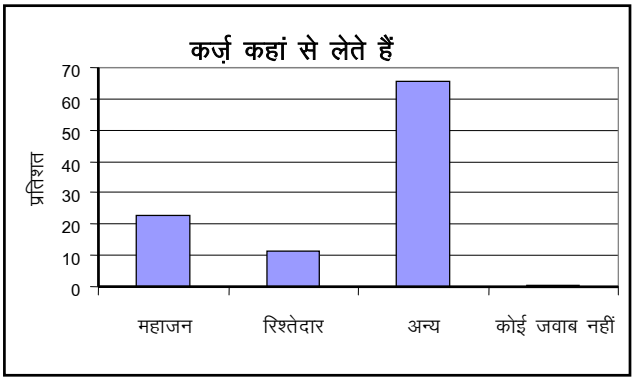

(18) कर्जे की ब्याज दर

ब्याज दर	न.	प्रतिशत
2 प्रतिशत	60	22.99
3 प्रतिशत	114	43.69
4 प्रतिशत	10	3.83
5 प्रतिशत	69	26.44
कुछ नही	8	3.07
कोई जवाब नहीं	0	0
कुल	261	100

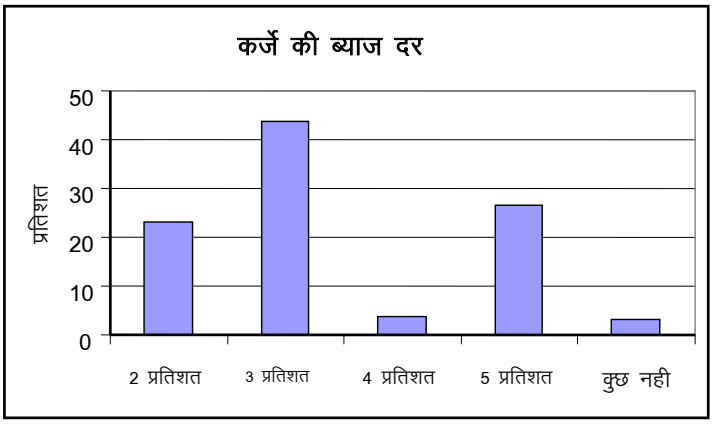

यहां एक महत्वपूर्ण बात जो नज़र आ रही है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मज़दूर चौंकों पर रोज़गार प्राप्त करने के लिए आपस में झड़प कर रहा है वहीं दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि एक दूसरे की जीविका चलाने के लिए मज़दूर आपस में कर्जे का लेन देन भी कर रहा है। यानि कर्जे के लिए वे अपने साथी कामगार पर ही निर्भर करते है परन्तु अगर रोजगार का यही रूप आगे भी जारी रहा तो उनके भविष्य की भयावता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

निर्माण के काम में दुर्घटना से इन्कार नहीं किया जा सकता इसलिए कानून के मुताबिक (वर्कस कम्पनसेशन एक्ट) दुर्घटना का मुआवज़ा व इलाज का खर्च तत्काल रूप से मज़दूर को मिलना चाहिए। किन्तु जैसे हमारे अध्ययन बता रहे हैं कुल 261 सर्वेक्षण में से 21.07% (टेबल 19) मज़दूरों की काम करने वक्त दुर्घटना हुई और उनमें से केवल 1.81% (टेबल 20) मज़दूर को दुर्घटना का मुआवज़ा मिला और 98.19% (टेबल 20) मज़दूरेां का किसी भी प्रकार का मुआवज़ा नहीं मिला। यानि सारे कानूनों (निर्माण मज़दूर कानून 1996 जो अभी तक राजस्थान में लागू नहीं हुआ है) के रहते हुए भी मज़दूरों का शोषण ज़ारी है। निर्माण मज़दूरों की स्थिति बद् से बद्त्तर होती जा रही है।

(19) काम करते वक्त दुर्घटना

दुर्घटना	न.	प्रतिशत
हां	55	21.07
नहीं	195	74.72
कोई जवाब नहीं	11	4.21
कुल	261	100

(20) मुआवज़ा

मुआवज़ा	न.	प्रतिशत
हां	1	1.81
नहीं	54	98.19
कुल	55	100

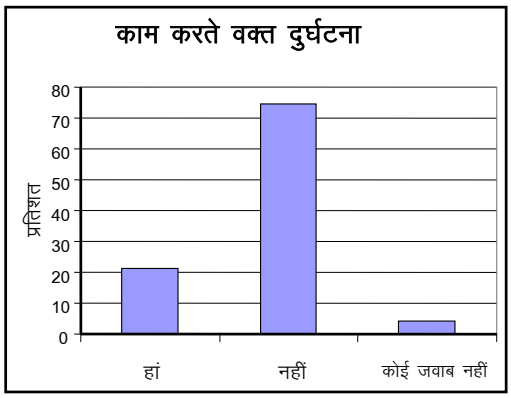

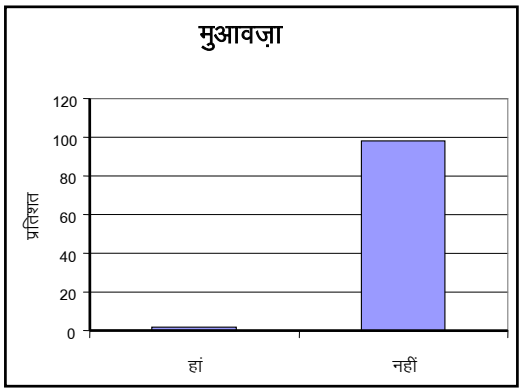

3.5 संगठन एवं कानून की जानकारी

निर्माण का क्षेत्र एक ऐसा असंगठित क्षेत्र है जिसमें केन्द्रीय ट्रेड यूनियन व कई स्वतंत्र ट्रेड यूनियन कई वर्षों से कार्यरत है। इसकी ज़रूरत शायद इसलिए भी महसूस हुई क्योंकि निर्माण असंगठित क्षेत्र के सबसे पुराने हिस्से में से एक है और इसलिए भी इस क्षेत्र के लिए अलग से कानून बनाने की वकालत 80 के दशक से शुरू हुई और आखिरकार 1996 में निर्माण मज़दूर कानून संसद में पारित हुआ। परन्तु इसका कोई भी फायदा निर्माण मज़दूरों को नहीं मिला। हमारे अध्य्यन बता रहा हैं कि केवल 22.22% (टेबल 21) मज़दूर ही किसी भी प्रकार के संगठन के सदस्य हैं और 95.40%(टेबल 22) मज़दूरों को निर्माण मज़दूर कानून की जानकारी नहीं है।यहां पर सवाल उठता है एक ऐसे कानून का जिसमें मज़दूरेां को कई तरह की सामाजिक सुरक्षा दी गयी उसकी जानकारी देने का काम किसका है? जब हर मंत्रालय व विभाग अपने–अपने कार्यों व परियोजना का प्रचार हर अख़बार, टेलिविज़न, रेडियो के द्वारा करते हैं (जिसकी शायद उतनी ज़रूरत नहीं होती) तब फिर क्या कारण है कि श्रम मंत्रालय इसे राजस्थान में लागू नहीं कर रही है, उसके प्रचार की बात तो छोड़ ही दीजिए।

(21) संगठन के सदस्य

सदस्य	न.	प्रतिशत
हां	58	22.22
नहीं	172	65.91
कोई जवाब नहीं	31	11.87
कुल	261	100

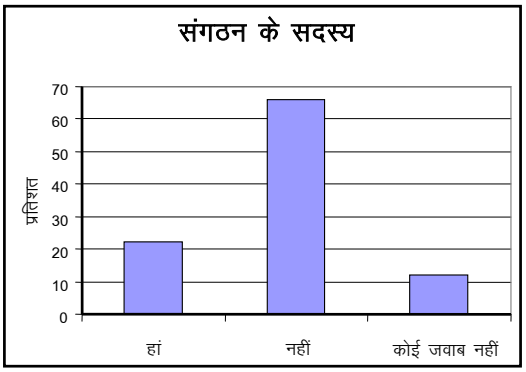

(22) निर्माण मज़दूर कानून से अवगत हैं

अवगत हैं	न.	प्रतिशत
हां	7	2.69
नहीं	249	95.40
कोई जवाब नहीं	5	1.91
कुल	261	100

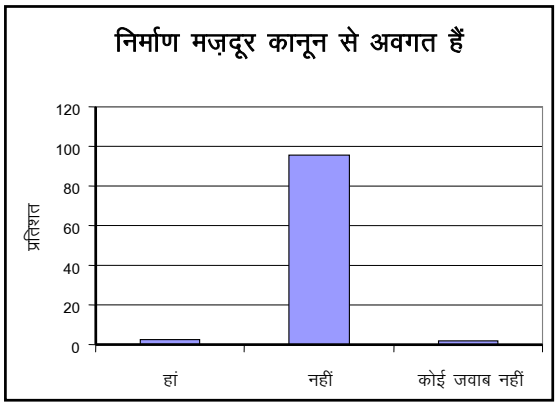

4 आवास

(23) शहर में आवास

आवास	न.	प्रतिशत
काम की जगह अस्थायी रूप से	3	1.14
झुग्गी	51	19.54
पुनर्वास	2	0.38
कच्ची कालोनी	144	55.17
पक्की कालोनी	28	10.72
फुटपाथ	3	1.14
गांव से आते हैं	4	1.53
अन्य	22	8.42
कोई जवाब नहीं	4	1.53
कुल	261	100

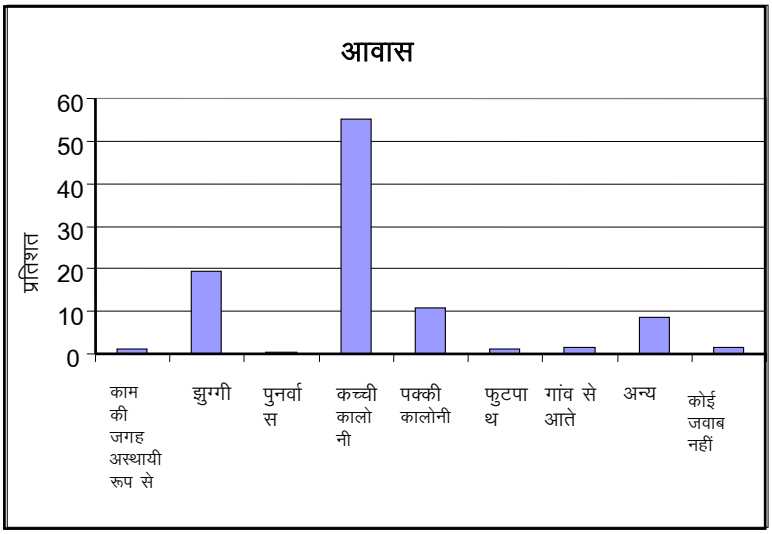

उपरोक्त टेबल बता रहे हैं कि ज़्यादातर मज़दूर 55.17% कच्ची कालोनियों में रहते हैं। जयपुर की कच्ची कालोनियों की हालत अन्य शहर से जुदा नहीं, जहां पानी, बिजली, सड़क, सीवर, सफाई का अभाव है। यहां तक कि बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं हैं।

5 रोज़गार संबन्धि परेशानियां

(24) मज़दूरों की सबसे बड़ी परेशानियां

मज़दूरों की परेशानियां	न.	प्रतिशत
काम का न/कम मिलना	253	96.93
अन्य	3	11.49
कोई जवाब नहीं	5	1.91
कुल	261	100

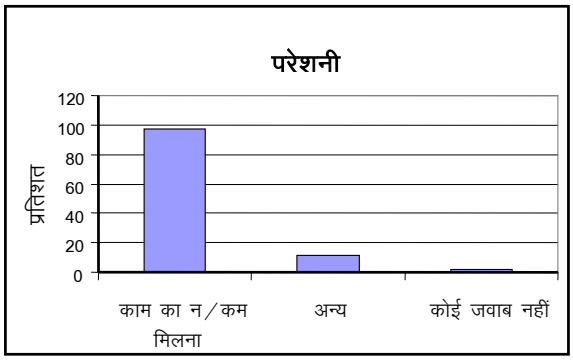

96.93% मज़दूरों की सबसे बड़ी परेशानी काम का न मिलना या कम मिलना है।

❑ ❑ ❑

शहर की योजना में निर्माण मज़दूर का स्थान

चौक पर बैठ कर रोज़गार पाने का इंतज़ार करते ये मज़दूर इंतज़ार कर रहे हैं शहर की विकास योजना में अपना हिस्सा पाने का। जैसे की पीछे बताया गया है जयपुर में 72 छोटे बड़े चौक हैं जहां ये निर्माण मज़दूर पूरे महीने हर मौसम में रोज़गार पाने का इंतज़ार करते हं। इन चौकों की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ने भी वाली है लेकिन योजनाकारों की नज़र इन पर कभी नहीं पड़ी। न ही जयपुर मास्टर प्लान में और न ही जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत बनने वाले शहर विकास योजना में निर्माण मज़दूर के इन चौकों पर बुनियादी सुविधाओं की कोई बात की गई है। क्या निर्माण मज़दूर शहर का हिस्सा नहीं हैं? ये कब तक बिना पानी, शौचालय, छांव के बिना इन चौंकों पर बैठेंगे। सरकार इतने बड़ी मात्रा में हो रहे निर्माण कार्यों में इन्हें रोज़गार देने की गारंटी के साथ–साथ चौकों पर बुनियादी सुविधा क्यो मुहैय्या नही करवा रही हैं।

एक तरफ तो शहर की विकास योजनाओं में इनकी अनदेखी कर रही है और दूसरी तरफ निर्माण मज़दूर कानून–1996, जिसमें इन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है उसे भी राजस्थान सरकार 10 साल बीत जाने के बावजूद अपने राज्य में लागू नहीं कर रही हे। आख़िर सरकार किस दबाव में इस कानून को लागू नहीं कर रही है?

निर्माण मज़दूरों का समग्र और समुचित विकास तभी हो सकता है जब सरकार निर्माण मजदूर कानून 1996 जल्द से जल्द राजस्थान में लागु करे और संजीदगी से उस पर अमल करें।

❑ ❑ ❑

मज़दूरों का विरोध

अगर हम मज़दूरों के विरोध की बात करें तो हमारे सामने ट्रेड यूनियनों का उदाहरण सामने आता है। मज़दूरों के सामूहिक सौदा के आंदोलनों को ट्रेड यूनियनों ने एक महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया है। किन्तु ये नेतृत्व सिर्फ संगठित क्षेत्र तक सीमित हैं, जो केवल 8% हैं।

असंगठित क्षेत्र के 92% मज़दूर जिन्हें अपने अधिकार और सामूहिक सौदा की स्वतंत्रता का पता नही है जिसके परिणामस्वरूप हर तरफ से उनका शोषण होता है। असंगठित क्षेत्र की एक सबसे बड़ी परेशानी है कि वे व्यापक रूप से संगठित नहीं है। शायद इसलिए भी उनका आंदोलन बिखरा हुआ है। और आंदोलन का स्वरूप काफी स्थानीय और नेतृत्वविहीन है।

किन्तु अगर हम जयपुर मे निर्माण मज़दूर और अपने अधिकारो के लिए उनके आंदोलनों की बात करते हैं तो निर्माण मज़दूरों को हमें दूसरे असंगठित क्षेत्र से अलग करना पड़ेगा। उसकी एक वजह यह है कि निर्माण उद्योग में कृषी के बाद सबसे ज़्यादा मज़दूर लगे हुए हैं। मज़दूरों की इतनी बड़ी संख्या होने के कारण कई स्वतंत्र ट्रेड युनियन उनके बीच काम करना शुरू किए और आखिरकार निर्माण मज़दूरों के उनके अधिकार व सामाजिक सुरक्षा दिलाने के लिए एक अभियान चलाया जिसे हम निर्माण मज़दूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति के नाम से जानते हैं। इस अभियान के प्रयास के परिणामस्वरूप 15 साल के बाद ही सही–संसद ने निर्माण मज़दूर कानून 1996 पास किया।

10 साल के बाद भी राजस्थान में यह कानून अभी तक लागू नहीं किया गया है। राजस्थान के साथ–साथ जयपुर के निर्माण मज़दूरों के साथ–साथ अन्य काम करने वाले संगठन एक तरफ इस आंदोलन को अपने राज्य में लागू करवाने के लिए

प्रयासरत हैं, आंदोलित हैं। वहीं दूसरी ओर निर्माण मज़दूर और उनके परिवारों की बुनियादी सुविधाएं दिलाने के लिए भी समय–समय पर आंदोलन चलाते रहते हैं चाहे वह उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने की बात हो या उनके चूल्हे के लिए केरोसीन तेल दिलवाने की बात हो।

अपने आंदोलन को व्यापक रूप देने के लिए ये संगठन समय–समय पर मज़दूरों के बीच जागरुकता अभियान भी चलाते रहते हैं।

❑ ❑ ❑

निष्कर्ष

उदारीकरण के 15–16 सालों में मज़दूरों को लेकर सरकार की कोशिश और मज़दूरों की दशा की उभरती तस्वीर को ध्यान में रखते हुए अगर हम इन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो निम्नलिखित बातें उभरकर सामने आ रही हैः–

उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए क्रमशः मूलभूत ढांचे के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होने के बाद मज़दूरों के बहाली के तरीके में बदलाव आया है। निर्माण मज़दूरों की बहाली में यूं तो पहले भी ठेकेदार ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे परन्तु मज़दूर उतना बेबस और लाचार नहीं था जितना कि अब है। अब ठेकेदार के अंदर काम करने वाले मज़दूर की हालत बंधुआ मज़दूर की तरह है। जहां उसे काम की बहुत कम मज़दूरी मिलती है, पूरी मज़दूरी मांगने पर काम से निकाले जाने का डर लगा रहता है। वे लगातार एक भय में जीते हैं – रोज़गार छूटने का भय। क्योंकि ठेकेदार इन मज़दूरों को सीधे गांव से लेकर आते हैं और काम की जगह पर अस्थायी तौर पर रहने की व्यवस्था भी कर देते हैं। एक तरह से से ठेकेदार शहर, रोज़गार, आवास और मज़दूरों के बीच आखिरी कड़ी होते हैं – कम से कम कुछ सालों तक जिसका फायदा यह ठेकेदार बखूबी उठाते हैं।

इस तरीके से बढ़ते बहाली के तरीकों और मशिनीकरण का सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है उन मज़दूरों को जो चौकों पर बैठकर रोज़गार पाने का इंतज़ार करते हैं। जैसे कि हमारे आंकड़ें बता रहे हैं – चौकों पर बैठने वाले मज़दूरों को महीने में 10–15 दिन ही काम मिलता है। मज़दूरी 80 रु0 मिलती है जबकि यूनियन द्वारा तय मज़दूरी 100 रु. है। कम मज़दूरी और कम काम ही एकमात्र समस्या नहीं है। मज़दूरी भी एक महीने की देरी से मिलती है। नतीजतन वे लगातार कर्ज़े में डूबे रहते हैं।

बदलती अर्थव्यवस्था में बदलते रोज़गार और उसमें बदलते मज़दूरों की बहाली के तरीके से मज़दूर सिर्फ आर्थिक रूप से बदहाल नहीं है बल्कि उन्हें दूसरी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। चौकों पर बैठने वाले मज़दूर हर तरह की सुविधाओं से वंचित हैं। जयपुर के चौकों पर तकरीबन 2 से 2.5 लाख मज़दूर बैठते हैं पर किसी भी चौक पर न पानी की सुविधा है, न कोई छाया है और न ही कोई शौचालय की व्यवस्था। हर चौक पर मज़दूरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिसके कारण मज़दूरों के बीच रोज़गार पाने के लिए अक्सर झड़प भी हो जाती है। प्रशासन इन मज़दूरों को किसी भी तरह की मदद देने के बजाए इन्हें उपद्रवी मानकर चौकों को अक्सर हटाने की बात करती है।

और अन्त में ही इतना ही कहा जा सकता है कि इस बदलती अर्थव्यवस्था में मज़दूर सिर्फ आर्थिक रूप से बदहाल नहीं हो रहा है बल्कि मज़दूरों के भीतर आपसी भाईचारे की भावना भी कहीं न कहीं लुप्त होती जा रही है (जब खाने को रोटी नहीं मिलेगी तो भाईचारे का ख़त्म होना स्वाभाविक है)। शायद इसलिए भी असंगठित क्षेत्र के मज़दूर सामूहिक सौदा करने में असमर्थ हैं और यूनियन द्वारा तय मज़दूरी से भी कम पर काम करने को विवश हैं।

❑ ❑ ❑

Cover page by Vinod Koshti

For further details, please contact:
Hazards Centre
92 H Pratap Market
Munirka
New Delhi 110067
011-26187896, 26714244
haz_cen@vsnl.net